कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री डिप्टी चीफ एकाउन्ट आफिसर, सी एफ ए एण्ड बी ओ, डी टी पी पी, अनपरा, सोनभद्र।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**07 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एस0 एन0 वर्मा, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-07 / 11, दिनांक 28.01.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

Whether there is a inter-state sale of goods under the aforesaid agreement in between उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 (UPRVUNL) & M/s Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL), Under the above terms & conditions & further whether 'C ' Form may be issued by UPRVUNL to BHEL for grant of concessional rate of CST for the supply of material against the above execution of work and also the applicable rate of tax thereon. ?

2. फर्म की ओर से श्री एस0 एन0 वर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एक सरकारी संस्था है इसके तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 के मध्य हुए समझौते के तहत अनपरा विद्युत परियोजना के अन्तर्गत स्टीम जनरेटर, टरबाइन जनरेटर तथा इसके साथ विद्युत प्लान्ट में बचे हुए सिविल आदि कार्य को करने व प्लान्ट को चालू करने का एग्रीमेन्ट किया गया है। उक्त एग्रीमेन्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा अनपरा पावर हाऊस में वर्क कानट्रैक्ट का कार्य किया जाना है। उक्त समझौते के तहत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा अपने नाम से अथवा अपने एकाउन्ट में प्रदेश के बाहर से बहुत सा सामान प्रदेश में आयात किया जा रहा है। उक्त माल को आयात करने के आदेश भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा दिये जाते हैं।उदाहरणार्थ-सीमेन्ट और स्टील भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा आयात करके प्रोजेक्ट साइड में बने आफिस में स्वयं प्राप्त कर अपनी सुरक्षा में रखा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए सीमेन्ट और स्टील का आयात करने के पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को जो बिल जारी किये जाते हैं उसमें केन्द्रीय बिक्रीकर नहीं लिया जाता है तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छूट मॉगी जा रही है जिसके लिए उनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 से फार्म-सी की मॉग की जा रही है अर्थात् भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-6 (2) के अन्तर्गत छूट मॉगी जा रही है जिसके लिए उनके द्वारा अनपरा विद्युत इकाई से फार्म-सी की मॉग की जा रही है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके अनुसार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा अनपरा यूनिट को जिस माल की बिक्री की जा रही है वह केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-6(2) से समर्थित नहीं है क्योंकि प्रदेश के बाहर से माल आयात करने के पश्चात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 द्वारा प्रोजेक्ट साइड में

.....2

स्वयं माल प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात् उक्त माल की बिक्री दिखाई जाती है उनके अनुसार ऐसी बिक्री सेल इन टांजिट के अन्तर्गत नहीं आती है। अत: उक्त संव्यवहार के लिए क्या वह भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0 को फार्म-सी जारी कर सकते हैं ?

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-द्वितीय के पत्रांक-2103, दिनांक 01.03.11, एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सेल) वाणिज्य कर, जोन द्वितीय वाराणसी मुख्यालय रावर्टसगंज सोनभद्र के पत्र संख्या-43, दिनांक 26.02.11 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार सर्वश्री BHEL द्वारा तापीय विद्युत गृह तैयार करके सर्वश्री उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को दिया जाना है। निर्माण में प्रयोगार्थ कच्चे माल की व्यवस्था भी इसी फर्म को करनी है। सर्वश्री BHEL के निर्देश पर प्रान्त बाहर के व्यापारी द्वारा सीमेन्ट, सरिया जैसा कच्चा माल निर्माण स्थल पर भेजा जाता है जिसके सम्बन्ध में आयात घोषणा-पत्र संविदा फर्म का प्रयोग किया जाता है। चूँकि माल के आयात हेतु संविदी फर्म का फार्म-38 प्रयोग किया गया है इसलिए उक्त संव्यवहार पर धारा-6(2) लागू नहीं होगी। किसी मैटीरियल की आपूर्ति का अलग से कोई अनुबन्ध नहीं है। प्रयोगार्थ माल के आयात के सम्बन्ध में फार्म-सी संविदी फर्म द्वारा जारी किये जाने का वैधानिक औचित्य नहीं बनता है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि सर्वश्री BHEL के निर्देश पर प्रान्त बाहर के व्यापारी द्वारा सीमेन्ट, सरिया जैसा कच्चा माल निर्माण स्थल पर भेजा जाता है जिसके सम्बन्ध में आयात घोषणा-पत्र BHEL का प्रयोग किया जाता है। चूँकि माल के आयात हेतु सर्वश्री BHEL का फार्म-38 प्रयोग किया गया है इसलिए उक्त संव्यवहार पर धारा-6(2) लागू नहीं होगी। किसी मैटीरियल की आपूर्ति का अलग से कोई अनुबन्ध नहीं है। प्रयोगार्थ माल के आयात के सम्बन्ध में UPRVUNL द्वारा BHEL को फार्म-सी जारी किये जाने का वैधानिक औचित्य नहीं बनता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 18 नवम्बर, 2011

ह0 / 18.11.11

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।